



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1201/MH/24/2022-ESDW

दिनांक: 26.06.2023

सेवा में,

श्री मनोज सौनिक,
मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र सरकार,
मंत्रालय, छठी मंजिल, मैडम कामा रोड
मुंबई -400032 (महाराष्ट्र)
ई मेल: cs@maharashtra.gov.in


विषय: कैकाडी समाज को महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जन जाति का दर्जा प्रदान करने के संबंध में श्री बी.आर. माने, अध्यक्ष, कैकाडी समाज संघटना महाराष्ट्र राज्य (मराठावाड़ा विभाग), वैष्णवी निवास, घर नं. 2-9-331, सोमेश कॉलोनी, कला मंदिर मार्ग, नांदेड़, महाराष्ट्र-431601 का दिनांक 08.09.2022 का अभ्यावेदन।

उपरोक्त विषय पर जनजातीय विकाश विभाग, महाराष्ट्र के पत्र संख्या STC2123/C.R..15/DESK-10 दिनांक 14.02.2023 के संदर्भ में श्री बी.आर. माने, अध्यक्ष, कैकाडी समाज संघटना महाराष्ट्र राज्य (मराठावाड़ा विभाग) नांदेड़, महाराष्ट्र की ओर से दिनांक 03.04.2023 एवं 24.04.2023 के रेजोइन्डर आयोग को प्राप्त हुए हैं, जिनकी छायाप्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. अतः आप से अनुरोध किया जाता है कि, रेजोइन्डर में उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार इस मामले में यथोचित कार्यवाही की जाए तथा कि गई/ की जाने वाली कार्रवाई से इस आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री बी.आर. माने,
अध्यक्ष,
कैकाडी समाज संघटना महाराष्ट्र राज्य,
(मराठावाड़ा विभाग),
वैष्णवी निवास, घर नं. 2-9-331,
सोमेश कॉलोनी, कला मंदिर मार्ग, नांदेड़,
महाराष्ट्र-431601
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।